कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।

परिपत्रांकः सी–29/अधि0–1/डी.सी.बी.लाइसेन्स/2015–16 लखनऊ दिनांक : 12 जून, 2015

1. सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
   पार्श्वांकित जिला सहकारी बैंक लि0,
   उत्तर प्रदेश।

2. सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
   सहकारिता, उत्तर प्रदेश।

1. फैजाबाद
2. गाजीपुर
3. वाराणसी
4. इलाहाबाद
5. सीतापुर
6. सिद्धार्थनगर
7. बहराइच
8. हरदोई
9. आजमगढ़
10. सुल्तानपुर
11. बस्ती
12. बलिया
13. फतेहपुर
14. गोरखपुर
15. जौनपुर
16. देवरिया

विषय :कमजोर 16 जिला सहकारी बैंकों हेतु लागू पुनरूद्धार पैकेज के अन्तर्गत उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाकर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश – प्रबन्धकीय व्यय में कमी लाया जाना।

शीर्षांकित विषयक इस कार्यालय के परिपत्रांकः सी–06/अधि0–1/ डी0सी0बी0 लाइसेन्स/2015–16 दिनांक 05 मई, 2015 का सन्दर्भ लें, जिसके माध्यम से गैर लाइसेन्स जिला सहकारी बैंकों के लाइसेन्सीकरण की प्रक्रिया के अधीन बैंकों के संसाधन एवं व्यवसाय वृद्धि के साथ–साथ लाभप्रदत्ता की दृष्टि से विभिन्न व्ययों में मितव्ययता लाते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

2. प्रदेश स्तर पर समीक्षोपरान्त पाया गया है कि बैंकों द्वारा, प्रशासनिक व्यय एवं विविध व्यय, कार्यशील पूंजी के 2 प्रतिशत या सकल आय के 30 प्रतिशत तक नियन्त्रित रखने के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, फलस्वरूप बैंकों की हानि वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रही है तथापि बैंकों द्वारा निक्षेपकर्ताओं के निक्षेपों की धनराशि बैंक के प्रबन्धकीय व्यय में व्यय की जा रही है, जो घोर आपत्तिजनक है। अतः बैंक के निक्षेपकर्ताओं के व्यापक हित एवं प्रबन्धकीय व्यय में नियन्त्रण के उद्देश्य से निर्देशित किया जाता है कि बैंकों द्वारा उनकी कुल वास्तविक आय की अधिकतम 30 प्रतिशत की धनराशि पृथक से "प्रबन्धकीय व्यय खाता" खोलकर उसमें जमा की जायेगी तथा बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आदि व्ययों की पूर्ति उक्त खाते में उपलब्ध धनराशि की सीमा तक ही कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन (मंहगाई भत्ता सहित) के आधार पर समानुपातिक रूप से वितरित करते हुए की जायेगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी बैंक की माह में कुल वास्तविक आय ₹ 1.00 करोड़ है तो ₹ 30.00 लाख की धनराशि "प्रबन्धकीय व्यय खाते" में जमा की जायेगी तथा ₹ 30.00 लाख की धनराशि से ही कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आदि का भुगतान कर्मचारी/अधिकारीवार समानुपातिक रूप से किया जा सकेगा। किसी भी दशा में वेतन आदि पर "प्रबन्धकीय व्यय खाते" में उपलब्ध धनराशि से अधिक का भुगतान नहीं किया जायेगा।

3. कुल वास्तविक आय की गणना आय पक्ष के विभिन्न मदों में पावना (Receivable) के रूप में दर्शाई गई धनराशि को घटाकर की जायेगी। अर्थात् केवल वही धनराशि वास्तविक आय में मानी जायेगी जिसकी प्राप्ति बैंक को हो गई हो।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

ह0

(शैलेश कृष्ण)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रांक : सी– 20/अधि0–1/डी0सी0बी0–लाइसेन्स/2015–16/ दिनांकः उक्त।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
2. समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
3. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, कम्प्यूटर/वेब मास्टर, सहकारिता, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्तीय सलाहकार, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. प्राचार्य, कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, इंदिरानगर, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
10. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
11. प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
12. निजी सचिव, मा0 सहकारिता मन्त्री जी को मा0 मन्त्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (अधि0),
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।